*संसद अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा प्रतिधारित निवास के लिए किराया) नियम, 1974

सा0 का0 नि0 200- केन्द्रीय सरकार, संसद -अधिकारियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य-सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का नाम संसद-अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा प्रतिधारित निवास के लिए किराया) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा-

इन नियमों में, "अधिनियम" से अभिप्रेत है, संसद अधिकारियों के संबलमो और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।

3. मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा निवास के लिए किराया-

जहाँ संसद-अधिकारी का कुटुम्ब, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, निवास का अधिभोग रखता हो, वहाँ कुटुम्ब से मूल नियम 45-क के उपबंधो के अनुसार किराया, या यदि किराया पूलित कर दिया गया हो तो मूल-नियम 45-क के अधीन पूलित मानक-किराया, लिया जाएगा।

---

* भारत के असाधरण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (I) दिनांक 18-12-1992 में प्रकाशित अधिसूचना स0 फा0 198/70-पी0 ए0 विधायी, दिनांक 7-2-1974